प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज,

उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 08 अप्रैल, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिष्ठानान्तर्गत वेतन भत्ता आदि मद में स्वीकृत धनराशि का अनुदान संख्या-83 में आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/04/2021-1/266/2020 दिनांक 06.04.2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रावधानित धनराशि रू0-241507.76 लाख के सापेक्ष **रू0-241507.76 लाख (रू0 चौबीस अरब पन्द्रह करोड़ सात लाख छिहत्तर हजार मात्र)** जिसका विवरण संलग्न सूची में अंकित किया गया है, को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) प्रावधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) निदेशक, पंचायती राज अपने से संबंधित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नही दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यत: 02 माह की आवश्यकता से अधिक नही होगी।

(7) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलो में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवष्यक हो, उन मामलो में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवष्य प्राप्त कर ली जाय।

(8) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-4/2018/आर.जी.-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) निवर्तन पर रखी जा रही धनराषि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवष्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 अधीन लेखाशीर्षक-2515 के अन्तर्गत प्रावधानित सुसंगत इकाईयों (संलग्नक के अनुसार) के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :-यथोक्त

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय।

6- मुख्य कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पंचायत) उत्तर प्रदेश।

8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश।

9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/राज्य योजना आयोग-1

11- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।

12- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 29/2021/792/33-3-2021-791/2021 दिनांक 08.04.2021 का संलग्नक

लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थायें-0401-सफाई कर्मचारी

अनुदान संख्या-83 (धनराशि लाख रू. में)

क्र0सं0	मानक मद	वर्ष 2021-22 का आय-व्ययक अनुमान	निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	01-वेतन	173884.00	173884.00
2	03-मंहगाई भत्ता	52165.20	52165.20
3	06-अन्य भत्ते	1688.20	1688.20
4	49-चिकित्सा व्यय	264.80	264.80
5	55- मकान किराया भत्ता	13505.56	13505.56
योग		**241507.76**	**241507.76**

रू0-241507.76 लाख (रू0 चौबीस अरब पन्द्रह करोड़ सात लाख छिहत्तर हजार मात्र)

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।